

सामान्य युवक/युवतियों द्वारा विकलांग से विवाह करने पर पुरस्कार प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

- 1- नाम सहित वर्तमान पता- (क) पति
(ख) पत्नी
- 2- विवाह से पूर्व पूरा पता- (क) पति
(ख) पत्नी
- 3-राष्ट्रीयता,धर्म,जाति तथा उपजाति-
(क) पति
(ख) पत्नी

वर और वधू की
प्रमाणित फोटो

4- विवाह विवरण:-

- (1) विवाह के समय आयु (क) पति
(ख) पत्नी

(2) विवाह सम्पन्न होने का दिनांक

(3) विवाह का विस्तृत विवरण

(क) क्या विवाह पंजीकृत हुआ है? यदि हाँ तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं उस कार्यालय का नाम जहाँ विवाह पंजीकृत हुआ।

(ख) विवाह किस धार्मिक रीति से सम्पन्न हुआ है? इस सम्बन्ध में प्रमाण/साक्ष्य क्या है?

(ग) विवाह की वैधता को प्रमाणित करने के लिये अन्य कोई साक्ष्य, यदि हो।

(घ) उनके जिम्मेदार व्यक्ति के नाम तथा पते जिनकी उपस्थिति में विवाह सम्पन्न हुआ:-

(अ) नाम

पता

(ब) नाम

पता

5- व्यवसाय-

(क) पति

(ख) पत्नी

6- पति के पिता का नाम-

(क) उनका पता तथा व्यवसाय (यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता तथा व्यवसाय)।

(ख) उनकी राष्ट्रीयता,धर्म,जाति तथा उपजाति ।

7- पत्नी के पिता का नाम-

(क) उनका पता तथा व्यवसाय(यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता व व्यवसाय)।

8- उत्तरप्रदेश में निवास का समय-

(क) पति

(ख) पत्नी

9- संलग्नकों का विवरण-

(1) उम्र का प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या-
अवलोकनीय

(2) आय का प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या-
अवलोकनीय

(3) विवाह का प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या
अवलोकनीय

(4) अधिवास प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या-
अवलोकनीय

(5) विकलांग का प्रमाण-पत्र संलग्नक संख्या-
अवलोकनीय

हम एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि उपरोक्त तथ्य शुद्ध एवं ठीक हैं तथा हमने सामान्य युवक-युवतियों द्वारा विकलांग से विवाह करने पर प्रोत्साहन नियमावली,1997 को भली-भांति देख लिया है तथा हम उसका पूर्णतया पालन करेंगे।

दिनांक.....

.पति के हस्ताक्षर.....

पत्नी के हस्ताक्षर.....

(करार विलेख जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होगा)

हम 1- (पति.....पुत्र श्री.....
निवासी.....

2- (पत्नी).....

एतद्वारा पति पत्नी के रूप में रहने का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा करते हैं और व्यक्तिक्रम की स्थिति में पुरस्कार की समस्त धनराशि भू-राजस्व की बकाया की भांति सरकार को वापस करने के उत्तरदायी होंगे।

पति के हस्ताक्षर.....

पत्नी के हस्ताक्षर.....